प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फिरोजाबाद ।

सेवा में,

प्रबन्धक
टूण्डला पब्लिक स्कूल
एटा रोड टूण्डला जिला फिरोजाबाद।

पत्रांक: मान्यता / 2117-19 /2000-2001 दिनांक: 2-9-2000

**विषय: प्राथमिक विद्यालय की नवीन अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या 1079/15-6-98 दिनांक 10 सितम्बर, 98 के परिप्रेक्ष्य में मान्यता समिति की बैठक दिनांक 26/6/2000 के द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर आपके विद्यालय को निरीक्षक अधिकारी की संस्तुति पर प्राथमिक विद्यालय के रूप में कक्षा –1 से 5 तक की नवीन अस्थायी मान्यता निम्नलिखित प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है ।

1. अशासकीय प्राथमिक विद्यालय को दी गयी अस्थायी मान्यता भी स्थायी प्रकृति की होगी तथा इस निमित्त प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है ।
2. विभागीय नियमों, निर्देशों का पालन किया जाय तथा राष्ट्रीकृत पाठ्य पुस्तक ही पढ़ाई जाए तथा निर्धारित शुल्क लिया जाये ।
3. विभागीय निरीक्षण अधिकारियों को विद्यालय के निरीक्षण अभिलेखों के परीक्षण में अपेक्षित सहयोग दिया जाए ।
4. विभागीय नियमों/आदेशों की अवहेलना करने पर तथा किसी तथ्यों को छिपाने जाने पर मान्यता का प्रत्याहरण करने का अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है ।

भवदीय,

( मलखान सिंह )
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फिरोजाबाद

पृष्ठांकन सं० / 2117-19 /2000-2001

प्रतिलिपि – 1- जिला समाज कल्याण अधिकारी, फिरोजाबाद ।
2- सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद फिरोजाबाद

( मलखान सिंह )
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फिरोजाबाद